POLICE COMMISSIONERATE

PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 21.08.2026

थाना सरायइनायत पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल 01 चाकू बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक- 20.08.2026 को समय करीब 10.00 बजे दूरभाष के माध्यम से थाना सरायइनायत पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना सरायइनायत क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जैतपुर में एक महिला उषा पत्नी दिनेश कुमार निवासिनी ग्राम बसगित थाना उतरांव कमिश्नरेट प्रयागराज उम्र करीब 26 वर्ष का उसके घर में शव मिलने की सूचना पर पुलिस उपायुक्त गंगानगर, सहायक पुलिस आयुक्त थरवई, स्थानीय पुलिस टीम व फील्ड यूनिट द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम कराया गया। प्रकरण में मृतका के पति दिनेश कुमार पुत्र पारसनाथ गौतम निवासी ग्राम बसगित थाना उतरांव कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना सरायइनायत मु0अ0सं0-245/2026 धारा-103(1) भा0न्या0सं0 पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

पुलिस की कार्यवाही-

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त थरवई के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सरायइनायत पर पंजीकृत मु0अ0सं0-245/2026 धारा-103(1) भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आशीष पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी ग्राम रमईपुर थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना सरायइनायत पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-21.08.2026 को थाना सरायइनायत क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गोतावा के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त आशीष उपरोक्त के कब्जे/निशांदेही से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 चाकू बरामद कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त आशीष उपरोक्त से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त आशीष उपरोक्त मुकदमा वादी दिनेश के बहनोई के मौसी का लड़का है एवं दिनेश की पत्नी उषा (मृतका) से प्यार करने लगा था लेकिन मृतका ऊषा इस बात का विरोध करती थी और यह संबंध नहीं चाहती थी। जब इस बात की जानकारी उषा के पति दिनेश कुमार को हुई तो उसने अभियुक्त आशीष उपरोक्त को डांट-फटकार लगाई और अपने किराये के कमरे पर दोबारा न आने के लिए कहा गया। इस बात से आशीष खुन्नस खाए बैठा था, जिसके बाद उसने उषा की हत्या करने की योजना बनाई थी। इसी दौरान अभियुक्त आशीष उपरोक्त को पता चला कि दिनांक-19.08.2026 को दिनेश कुमार अपने गांव बसगित गया हुआ है। सही मौका देखकर अभियुक्त-20.08.2026 की सुबह दिनेश के किराये के कमरे पर पहुंचकर उसने चाकू से उषा का गला रेत दिया और शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर मौके से फरार हो गया था। अभियुक्त आशीष उपरोक्त द्वारा घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल (चाकू) को करीब आधा किलोमीटर

दूर झाड़ियों में फेंक दिया था, जिसे थाना सरायइनायत पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की निशादेही पर बरामद कर लिया गया है।

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त का विवरण-

आशीष पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी ग्राम रमईपुर थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज,उम्र करीब-30 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-245/2026 धारा-103(1) भा0न्या0सं0 थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी का विवरण-

* घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 चाकू।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 प्रवीण कुमार, थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह, चौकी प्रभारी हनुमानगंज थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. उ0नि0 उपेन्द्र कुमार तिवारी, थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज
4. उ0नि0 हरिश्चन्द्र राय, थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज
5. का0 सर्वेश यादव, थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज
6. का0 विनय सिह, थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज
7. का0 अरुण कुमार यादव, थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज।
8. रि0का0 हरिकेश चौहान, थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना सोरांव पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त सोरांव के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सोरांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 303/2026 धारा 191(2)/115(2)/351(3)/69/74 भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रोहित पुत्र भोलानाथ निवासी ग्राम चेक केशव लहटी थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना सोरांव पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-21.08.2026 को थाना सोरांव क्षेत्रान्तर्गत मटियारा स्थित पुलिया के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त द्वारा शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया तथा कही शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गयी, जिसके सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सोरांव पर मु0अ0सं0-303/2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त का विवरण-

रोहित पुत्र भोलानाथ निवासी ग्राम चेक केशव लहटी थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 27 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-303/2026 धारा-191(2)/115(2)/351(3)/69/74 भा0न्या0सं0 थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।

अभियुक्त रोहित उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-218/16 धारा-60 आबकारी अधिनियम थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. मु0अ0सं0-776/2020 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. मु0अ0सं0-303/2026 धारा-191(2)/115(2)/351(3)/69/74 भा0न्या0सं0 थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. म0उ0नि0 काजल भारतीया, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 अभिषेक यादव, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. हे0का0 गंगाचरण, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. रि0का0 विजय नारायण मौर्या, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।

कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन की ब्रिकी करने वाले वांछित 01 अभियुक्ता थाना बहरिया पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना बहरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-09/23 धारा-419/420/467/468/471 भा0द0दं0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता चन्दा देवी पत्नी स्व0 छोटेलाल सरोज निवासी सराय खुन्दमीर थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना बहरिया पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-21.08.2026 को थाना बहरिया क्षेत्रान्तर्गत मुबारकपुर स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्ता अपने अन्य साथी कंचन देवी पत्नी इन्द्रभान हरिजन निवासिनी पुरुषोत्तमपुर थाना उतरांव कमिश्नरेट प्रयागराज व अभियुक्त इन्द्रभान हरिजन पुत्र नन्दलाल हरिजन निवासी पुरुषोत्तमपुर थाना उतरांव कमिश्नरेट प्रयागराज के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कंचन देवी उपरोक्त को मुकदमा वादिनी बनाकर थाना बहरिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कपसा की जमीन आराजी संख्या 1075स रकबा 0.3080 हेक्टेयर का इकरारनामा करवा लेने व उक्त जमीन को गिरफ्तार अभियुक्ता चंदा देवी पत्नी छोटेलाल निवासिनी ग्राम सरायखुन्दमीर थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज को बेच देने आदि के सम्बंध में थाना बहरिया पर मु0अ0सं0-09/23 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पूर्व में वांछित 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

चन्दा देवी पत्नी स्व0 छोटेलाल सरोज निवासी सराय खुन्दमीर थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 48 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-09/23 धारा-419/420/467/468/471 भा0द0दं0 थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 भप्पी सोनी, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 वेदपाल सिंह, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. म0का0 गोल्डी, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना सोरांव पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त सोरांव के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सोरांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0-203/26 धारा-137(2)/87/352/351(2) भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित वांछित बीरेंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय गोपी राम निवासी पुरखीपुर थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना सोरांव पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-21.08.2026 को थाना सोरांव क्षेत्रान्तर्गत कस्बा सोरांव में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के पास से गिरफ्तार किया गया। पीड़िता के बयान एवं साक्ष्य संकल्न के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-64(2)(M) भा0न्या0सं0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त द्वारा अपने परिजनों के सहयोग से मुकदमा वादिनी की नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाने तथा वादिनी मुकदमा के पूछने पर परिजनों द्वारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सोरांव पर मु0अ0सं0-203/26 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

बीरेंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय गोपी राम निवासी पुरखीपुर थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 26 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-203/26 धारा-137(2)/87/352/351(2) भा0न्या0सं0 व बढ़ोत्तरी धारा-64(2)(M) भा0न्या0सं0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 भगवान बक्श सिंह, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. का0 संदीप गिरी, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना सोरांव पुलिस टीम द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 07 पैनल (अनुमानित कीमत 2,50,000/- रूपये) व घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप बरामद

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त सोरांव के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सोरांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0-311/26 धारा-303(2) भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्त 1. सूरज पासी पुत्र हरिकरन पासी निवासी हंसराजपुर दहिंयावा थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज 2. मिथलेश शर्मा पुत्र संगमलाल शर्मा निवासी जगापुर पोस्ट आनापुर थाना नबावगंज कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना सोरांव पुलिस टीम द्वारा दिनांक-20.08.2026 को थाना सोरांव क्षेत्रान्तर्गत अशोक नगर तिराहे से चोरी के 07 पैनल (अनुमानित कीमत 2,50,000/- रूपये) व घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन सं0-UP 70 MT 7170 के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-317(2) भा0न्या0सं0 की बढ़ोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा थाना सोरांव क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बनकट में कृषि कार्य हेतु सोलर सिंचाई पंप हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया एंव HDFC Bank के सहयोग से संचालित HDRP परियोजना के अन्तर्गत लगाये गये सोलर पम्प के सोलर पैनल व अन्य उपकरण चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सोरांव पर मु0अ0सं0-311/2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सूरज पासी पुत्र हरिकरन पासी निवासी हंसराजपुर दहिंयावा थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 19 वर्ष।
2. मिथलेश शर्मा पुत्र संगमलाल शर्मा निवासी जगापुर पोस्ट आनापुर थाना नबावगंज कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 24 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-311/26 धारा-303(2) भा0न्या0सं0 व बढ़ोत्तरी धारा-317(2) भा0न्या0सं0 थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।

अभियुक्त सूरज पासी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-191/25 धारा-303(2)/317(2)/317(4) भा0न्या0सं0 थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. मु0अ0सं0-204/25 धारा-303(2)/317(2)/336(3)/340(2) भा0न्या0सं0 थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. मु0अ0सं0-311/26 धारा-303(2) भा0न्या0सं0 व बढ़ोत्तरी धारा-317(2) भा0न्या0सं0 थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी का विवरण-

* चोरी के 07 पैनल (अनुमानित कीमत 2,50,000/- रूपये)।

* घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन सं0-UP 70 MT 7170

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 हरिश्चन्द्र शर्मा, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 अनुराग शर्मा, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. उ0नि0 अभिषेक कुंवर, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. का0 सत्रजीत सिंह, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।